FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलेक्टर एवं S.D.O. मुकाम नावां

भारूराम बनाम टीकमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा वाद कावेद 111,128 RLR Act नं. 209/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.6.19	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री शिवनारायण ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा 111,128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-~~राजस्व अधिनियम~~ के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 06/08/19 को पेश हो। [signature]	
06/08/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 16/09/19 को पेश हों। [signature]	
16/09/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 22/10/19 को पेश हों। [signature]	
22/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षियों के नोटिस तामील कुछ तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 20/11/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

20/11/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई। विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 26/02/2020 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

26/02/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी डिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 08/04/2020 को पेश हो।

08/04/2020

पत्रावली आज पेश हुई, कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। पीठासीन अधिकारी डिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 24/06/2020 को पेश हो।

24/06/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा लेकर आये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मांडे व कोर आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिससे प्रार्थी के अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य सेढ़ों को लेकर तनाजा बना रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हम कारण प्रार्थी के अपने खेत के मेढ़ों का सही ज्ञान करने हेतु नियमवली करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नियमवली आवेदन स्वीकार किया जाकर नियमवली आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नियमवली आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरगढ़ी नियमवली मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व अहकाम ... हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक/आवेदन/2020/ 453 दिनांकः– 24/6/2020

राजस्व आवेदन संख्या –209/2019

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री भारूराम पुत्र मूलाराम
वगैरा 10, जाति–जाट,
निवासी–सुथारों की ढाणी,
बोड़वा, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

श्री टीकमाराम पुत्र शेराराम वगैरा 08

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 15 रकबा 35.01 बीघा व मौजा खवालियानाडा पटवार मण्डल बोड़वा के खेत खसरा नम्बर 223, 309/224 रकबा क्रमशः 00.08, 29.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु
(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 24/6/2020

क्रमांक/आवेदन/2020/ 454-58
प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भारूराम पुत्र मूलाराम वगैरा 10।
4. विप्रार्थीगण श्री टीकमाराम पुत्र शेराराम वगैरा 08।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

Signature Not Verified
उपखण्ड अधिकारी बायतु।
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested